यू. पी. आवास एवं विकास परिषद इत्यादि इत्यादि

बनाम

उदय राम (मृत) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से इत्यादि इत्यादि

मार्च 17,1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायमूर्तिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

धाराएँ 4 (1) और 18-1984 के संशोधन अधिनियम 68 के प्रावधानों का अनुप्रयोग 9 मई, 1970 को प्रकाशित अधिसूचना यू/एस 4 (1)-भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 28 मार्च, 1980 को पुरस्कार पारित किया-संदर्भ न्यायालय ने 15 मई, 1985 की डिक्री द्वारा मुआवजा बढ़ाया और बढ़े हुए लाभ भी दिए। जैसा कि 1984 के संशोधन अधिनियम 68 के तहत उपलब्ध है-परिषद ने दावा किया कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं थे क्योंकि कार्यवाही यू. पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के तहत शुरू की गई थी जिसके तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और मुआवजे को और बढ़ा दिया गया-क्योंकि 1984 के संशोधन अधिनियम 68 का कोई आवेदन नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेशों को संशोधन अधिनियम के आवेदन की सीमा तक दरकिनार कर दिया गया है-बढ़े हुए मुआवजे पर 15 प्रतिशत की दर से और यू. पी. की अनुसूची और खंड 15 के तहत 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अवस इवम विकास परिषद अधिनियम, 1965

सत्य पाल और अन्य **बनाम** *उत्तर प्रदेश राज्य,* **[1996] पूरक 9 एससीआर 203;** *यू. पी. अवास इवाम विकास परिषद, लखनऊ* **बनाम** *लता अवस्थी,* **[1995] 3 एस. सी. सी.**

573 और *यू. पी. अवस इवामी विकास परिषद* **बनाम** *हकीम सिंह और अन्र,* **[1997] खण्ड. 9 एस. सी. सी. 607, पर निर्भर किया।**

नागपुर सुधार न्यास और अन्य **बनाम** *विठ्ठल राव,* **[1973] 1 एससीसी 500, अप्रयोज्य रखा गया।** *गौरी शंकर गौर और अन्य* **बनाम** *यू. पी. राज्य,* **[1994] 1 एस. सी. सी. 92, उद्धृत।**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2409/1997 आदि।

1986 के एफ. ए. सं. 757 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्ण और आदेश दिनांक 02.05.1996 से

अपीलकर्त्ताओं के लिए पी. के. जैन

उत्तरदाताओं के लिए जितेंद्र मोहन शर्मा

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

सी. ए. नं. 2409 , 2411-12 , 2410 , 2413/97 : [@ एसएलपी (सी) संख्या। 24783, 24786, 24787, 24784 & 25148/96]

देरी को माफ कर दिया गया। अनुमति दे दी गई।

हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है। विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें अनुमति 2 मई, 1996 को एफ. ए. सं. 757/86 और बैच में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 9 मई, 1970 को प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 28 मार्च, 1980 को अपना पुरस्कार पारित किया। उत्तरदाताओं ने संदर्भ का दावा किया कि धारा

18 के तहत जिला न्यायाधीश ने मुआवजे में वृद्धि कर रु. तक। 14 / - प्रति वर्ग मीटर। उनके पुरस्कार और डिक्री दिनांक 15 मई, 1985 द्वारा और संशोधन अधिनियम के तहत बढ़े हुए लाभ प्रदान किए। अपीलार्थी परिषद ने दावा किया कि संशोधन अधिनियम लागू नहीं है क्योंकि यू. पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी क्षतिपूर्ति। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है और फैसला सुनाया है रुपये की दर से मुआवजा। 28.35 प्रति वर्ग मीटर। गज इस प्रकार ये अपीलें, विशेष अनुमति पर।

हमें निर्धारण के तरीके के गुणों में जाने की आवश्यकता नहीं है सवाल 1984 का संशोधन अधिनियम 68 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का है। *गौरी शंकर गौर और अन्य बनाम वी. उत्तर प्रदेश राज्य,* [1994] 1 एस. सी. सी. 92, बाद में इस न्यायालय ने *सत्य पाल और अन्य मामलों बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* [1996] पूरक में इस प्रश्न पर विचार किया है। 9 क्षतिपूर्ति के निर्धारण के संबंध में एस. सी. आर. 203 यह। इस न्यायालय ने यू. पी. आवास एवं विकास परिषद में इसे बरकरार रखा है। *लखनऊ बनाम लता अवस्थी,* [1995] 3 एस. सी. सी. 573 और *यू. पी. में आवास एवं विकास परिषद बनाम हकीम सिंह और अन्य,* [1997] खण्ड. 9 एससीसी 607;

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने तर्क देना चाहा कि संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में मतभेद के खिलाफ या तो निगमन द्वारा या तीन न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ में एक संदर्भ दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाद के निर्णयों ने स्वीकार किया है कि संशोधन अधिनियम केवल संदर्भ द्वारा है और निगमन द्वारा नहीं है, संशोधन अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसके बाद नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एवं अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए इसका प्रतिवाद किया जाता है। वी. विट्ठल राव, [1973] 1 एस. सी. सी. 500, कि अधिनियम से भिन्न अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 14 का उल्लंघन करता है। इनमें अनुपात का इन मामलों में तथ्य-स्थिति पर कोई

प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अधिनियम के अधिकारों को अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी गई थी। इस मामले में वह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि ये अपील अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के तहत उत्पन्न हुई हैं।

तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। 1984 के संशोधन अधिनियम 68 के आवेदन की सीमा तक उच्च न्यायालय के आदेशो को रद् कर दिया गया है बढे हुए मआवजे पर 15 प्रतिशत की दर से सोलोश्यिम का भुगतान किया जाएगा अधिनियम की अनुसूची और खंड 15 के तहत 6 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा अपीलार्थी को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

सी. ए. सं. 2414-2415/97 @ एसएलपी (सी) संख्या। 7204-05/97

[सी. सी. सं. 2797 और 2889/97]

अनुमति दे दी गई। उपरोक्त निर्णय के बाद, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर.पी. अपील सं. 2414-15/97 बर्खास्त कर दिया।

उपेंद्र नारायण सिंह